# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

**भूमि विवाद निराकरण अपीलवाद सं0–15/2024**

खलील मियाँ एवं अन्य ..........................अपीलकर्त्ता

बनाम्

शिवनाथ महतो .....................................विपक्षी

09.08.2024

**आदेश**

प्रस्तुत B.L.D.R. अपीलवाद, भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–57/2022–23 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महाराजगंज द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि का संबंध खाता सं0–1049, खेसरा सं0–7705 से है। वे खतियानी रैयत के वंशज है, परन्तु विपक्षी शिवनाथ महतो द्वारा अपीलकर्त्ता सं0–02, भीमल मिया का अपहरण कर जबरदस्ती प्रश्नगत भूमि का केवाला करा लिया गया है, जिसके संबंध में I.P.C के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यदि खतियानी भूमि का जबरदस्ती एवं बलपूर्वक केवाला कराने का आरोप है तो सर्वप्रथम उक्त केवाला को निरस्त कराने हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष मामले को रखा जाना चाहिए था।

अभिलेख के अवलोकन में अपीलकर्त्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार के साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने खतियानी भूमि का जबरदस्ती केवाला कर दाखिल–खारिज कराते हुए जमाबंदी कायम कराने का आरोप विपक्षी पर लगाया गया है, परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वाद के संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामला अपराधिक एवं सिविल प्रकृति का है। जिसका निपटारा सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही किया जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर खारिज किया जाता है। अपीलकर्त्ता यदि चाहे तो अपने अनुतोष की प्राप्ति हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।